

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक : जीविवि./परीक्षा-2/गोपनीय/2014/1582 दिनांक : 30-9-14

// कार्यालयीन आदेश //

प्रायः देखने में आ रहा है कि छात्र अपने परीक्षा परिणाम सुधरवाने के लिये विश्वविद्यालय में एक, दो, तीन व पाँच वर्ष के बाद आते हैं। विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक - 05 के तहत उत्तरपुस्तिकायें तथा परीक्षा से संबंधित रिकार्ड छः माह निकलने के पश्चात् नष्ट कर दिया जाता है।

अतः समस्त महाविद्यालय एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर अपना परीक्षा परिणाम सुधरवाले उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसा न करने पर इसकी जिम्मेवारी छात्र एवम् महाविद्यालय की होगी।

पूर्व से भी जो रूके हुए परीक्षा परिणाम हैं उनका भी निराकरण 30 नवम्बर, 2014 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाये इसके पश्चात् उन पर भी विचार किया जाना संभव नहीं होगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय एवं छात्र/छात्राओं की होगी।


परीक्षा नियंत्रक
30/9/14

प्रतिलिपि:-

1. उप/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. अधीक्षक (गोपनीय/परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।